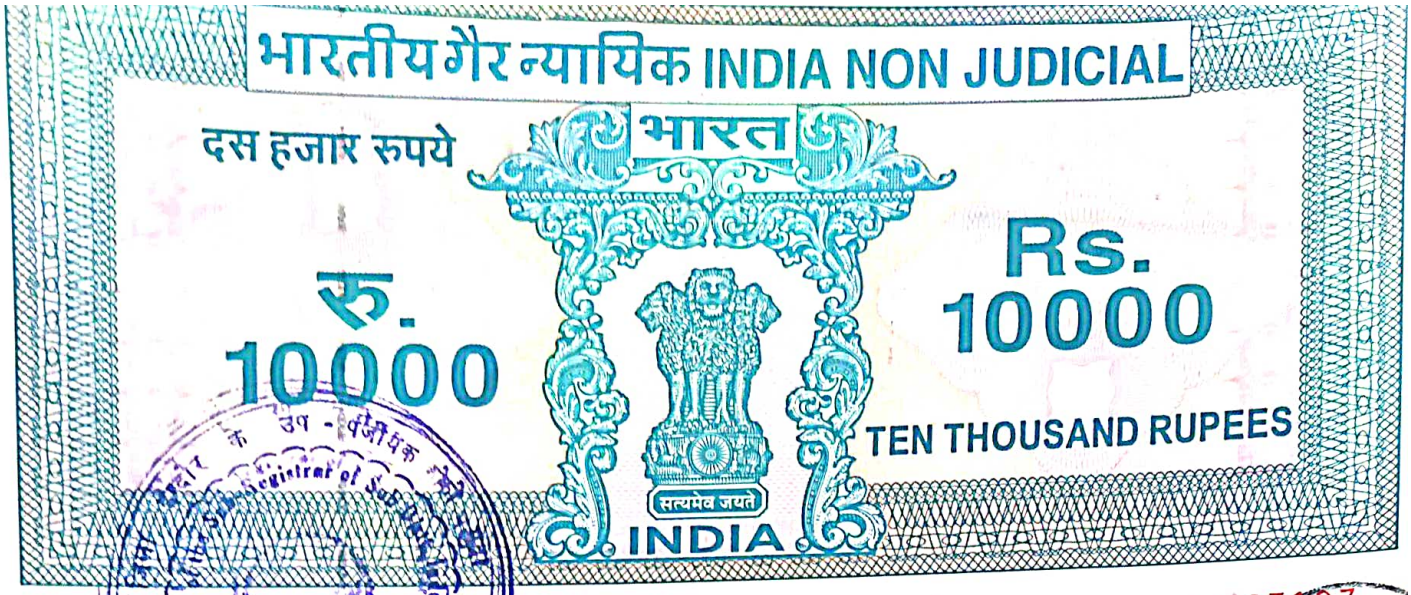

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

527127

MV = 12. 68.001

MP 291 17/6/09

स्टाम्प ड्यूटी रुपये	30,000.00
जनपो. ड्यूटी रुपये	4,000.00
पंचायत ड्यूटी रुपये	4,000.00
अतिरिक्त ड्यूटी रुपये	00.00
योग रुपये	**38,000.00**

वार्ड नंबर : 67

उपहार में दी गई संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग रुपये 4,00,000

17 JUN

॥ श्री ॥

उपहार पत्र (गिफ्ट डीड)

यह उपहार पत्र आज दिनांक को शहर इंदौर में निष्पादित कर देने वाले– **श्री ओमप्रकाश पिता श्री हीरालालजी मोदी,** निवासी – 125, पिपल्याराव, तहसील व जिला इंदौर (जिन्हें इस विलेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से आगे **''उपहारदाता–प्रथमपक्ष''** के नाम से संबोधित किया गया है) तथा **श्रीमती निर्मला पति श्री ओमप्रकाश मोदी,** निवासी – 125, पिपल्याराव, इंदौर (म.प्र.) (जिन्हें इस विलेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से आगे **''उपहारगृहिता– द्वितीयपक्ष''** के नाम से संबोधित किया गया है) यह उपहार पत्र प्रथमपक्ष आप द्वितीयपक्ष के हित में निम्नानुसार निष्पादित व पंजीयत कर देते हैं, ऐसा कि :–

Omprakash Modi

Nirmala Modi

M/408

रसीद दस्तावेज वगैरह 91

दफ्तर .... मुकाम 291

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किसम जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	निर्मला 3431451 400000/-	10315/- 23/6/09	

तारीख 17/6/09 उप-पंजीयक

UNDRED RUPEES 500

(2)

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 928230

1. यह कि, उपहारदाता–प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपूर्ण द्वितीय मंजिल जो कि **भवन/भूखंड कमांक 125, पिपल्याराव, तहसील व जिला इंदौर के सर्वे नंबर 111 पैकि पश्चिम दिशा के मध्य के भाग पर निर्मित बहुमंजिला भवन की संपूर्ण द्वितीय मंजिल** है । सदर भाग का **निर्मित क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट अर्थात 102.23 वर्गमीटर** है । उक्त भाग प्रथमपक्ष उपहारदाता के द्वारा श्रीमती शांतिदेवी पति श्री मोहनलाल दाणी, से कय किया हुआ है, तत्पश्चात प्रथमपक्ष के द्वारा उक्त भाग पर नगर पालिक निगम, इंदौर में अपने नामा पर नामंतरित करवा लिया है । सदर भवन की तल भूमि में उपहार गृहिता का आनुपातिक अधिकार रहेगा । सदर भाग आवासीय उपयोग का होकर उसमें निकास की स्वतंत्र व्यवस्था कामन पैसेज चढावसे उपलब्ध है, सदर संपत्ति मुख्य मार्ग ए.बी. रोड स अंदर की ओर स्थित है । सदर भूखंड की चतु:सीमा निम्नानुसार है :–

पूर्व में	::	इसी सर्वे की भूमि पर महेश कुमार मोदी का मकान
पश्चिम में	::	सडक
उत्तर में	::	इसी सर्वे की भूमि पर किरण कुमार मोदी का मकान
दक्षिण में	::	इसी सर्वे की भूमि पर ओमप्रकाश मोदी का मकान

Ompraksh Modi. Hemmala Modi

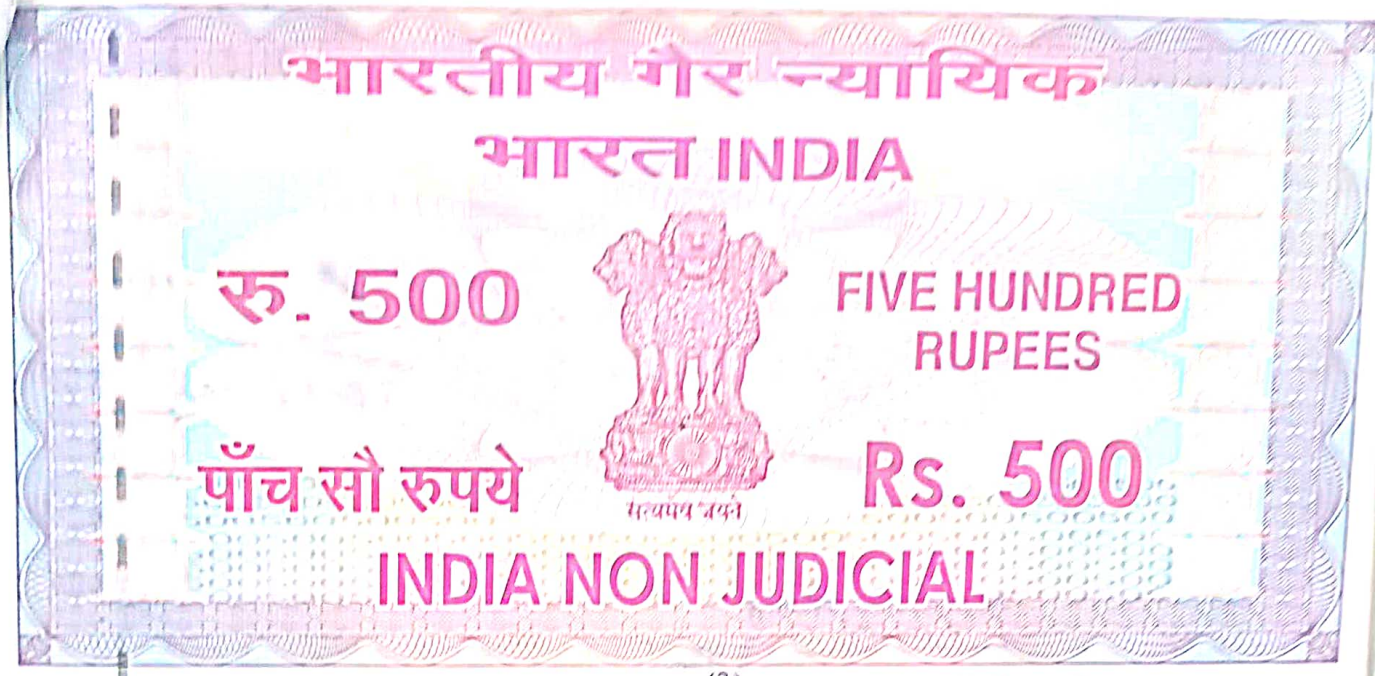

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 928231

उपरोक्त वर्णन व चतु:सीमा के मध्य स्थित भाग को इस लेख में सुविधा के लिए संक्षेप में **उपहार की गई संपत्ति** शब्द से संबोधित किया गया होकर उपहार की जा रही संपत्ति की तल व प्रथम मंजिल इस उपहार में सम्मिलित नहीं है । उपहार की जा रही संपत्ति की द्वितीय मंजिल की संपूर्ण छत इस उपहार में सम्मिलित है ।

2. यह कि, प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष आपसी में पति-पत्नी होकर उपरोक्त विवरण एवं चतु:सीमा के मध्य स्थित भाग को उपहारकर्ता ने उपहारगृहिता को स्वाभाविक स्नेह व प्रेमवश बिना प्रतिफल के उपहार कर दिया है तथा उक्त उपहार की गई संपत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य उपहारगृहिता को सुपुर्द कर दिया है ।

3. यह कि, उपहारगृहिता को उक्त भाग उपहार कर देने से अब उपहारकर्ता का कोई हित, अधिकार या स्वत्व आदि शेष रहा नही है तथा इस विलेख के द्वारा समस्त मालिकाना अधिकार उपहारगृहिता को प्राप्त हो गये है। अब उपहारगृहिता उक्त संपत्ति को अपनी इच्छानुसार उपयोग-उपभोग करने के अधिकारी होगें, जिसमें उपहारकर्ता को किसी प्रकार से आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा ।

Nirmala Modi

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 928231

उपरोक्त वर्णन व चतु:सीमा के मध्य स्थित भाग को इस लेख में सुविधा के लिए संक्षेप में **उपहार की गई संपत्ति** शब्द से संबोधित किया गया होकर उपहार की जा रही संपत्ति की तल व प्रथम मंजिल इस उपहार में सम्मिलित नहीं है । उपहार की जा रही संपत्ति की द्वितीय मंजिल की संपूर्ण छत इस उपहार में सम्मिलित है ।

2. यह कि, प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष आपसी में पति–पत्नी होकर उपरोक्त विवरण एवं चतु:सीमा के मध्य स्थित भाग को उपहारकर्ता ने उपहारगृहिता को स्वाभाविक स्नेह व प्रेमवश बिना प्रतिफल के उपहार कर दिया है तथा उक्त उपहार की गई संपत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य उपहारगृहिता को सुपुर्द कर दिया है ।

3. यह कि, उपहारगृहिता को उक्त भाग उपहार कर देने से अब उपहारकर्ता का कोई हित, अधिकार या स्वत्व आदि शेष रहा नही है तथा इस विलेख के द्वारा समस्त मालिकाना अधिकार उपहारगृहिता को प्राप्त हो गये है। अब उपहारगृहिता उक्त संपत्ति को अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग करने के अधिकारी होगें, जिसमें उपहारकर्ता को किसी प्रकार से आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा ।

Nirmala Modi

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 928231

उपरोक्त वर्णन व चतु:सीमा के मध्य स्थित भाग को इस लेख में सुविधा के लिए संक्षेप में **उपहार की गई संपत्ति** शब्द से संबोधित किया गया होकर उपहार की जा रही संपत्ति की तल व प्रथम मंजिल इस उपहार में सम्मिलित नहीं है । उपहार की जा रही संपत्ति की द्वितीय मंजिल की संपूर्ण छत इस उपहार में सम्मिलित है ।

2. यह कि, प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष आपसी में पति–पत्नी होकर उपरोक्त विवरण एवं चतु:सीमा के मध्य स्थित भाग को उपहारकर्ता ने उपहारगृहिता को स्वाभाविक स्नेह व प्रेमवश बिना प्रतिफल के उपहार कर दिया है तथा उक्त उपहार की गई संपत्ति का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य उपहारगृहिता को सुपुर्द कर दिया है ।

3. यह कि, उपहारगृहिता को उक्त भाग उपहार कर देने से अब उपहारकर्ता का कोई हित, अधिकार या स्वत्व आदि शेष रहा नही है तथा इस विलेख के द्वारा समस्त मालिकाना अधिकार उपहारगृहिता को प्राप्त हो गये है। अव उपहारगृहिता उक्त संपत्ति को अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग करने के अधिकारी होगें, जिसमें उपहारकर्ता को किसी प्रकार से आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा ।

Nirmala Modi

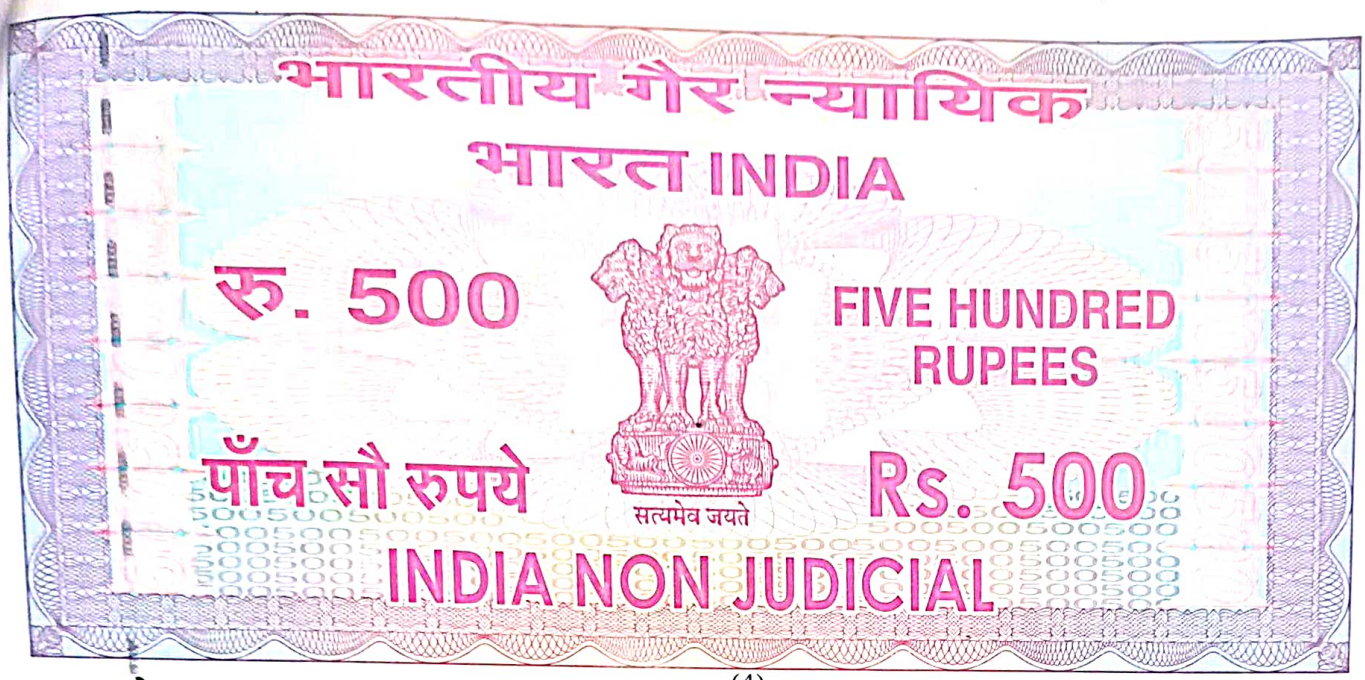

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 928232

4. यह कि, उपहार की गयी संपत्ति के संबंध में आज दिनांक तक लगने वाले समस्त ड्यूज, टेक्सेस, डायवर्शन, शुल्क व व्यय आदि प्रथमपक्ष वहन करेगें तथा आज दिनांक के पश्चात से उपहार कीगई संपत्ति के संबंध में लगने वाले समस्त टेक्सेस, डायवर्शन शुल्क व व्यय आदि द्वितीयपक्ष वहन करते जावेंगे ।

5. यह कि, उक्त संपत्ति पूर्णतः भारहित अवस्था में है तथा अन्यत्र भारित, बोझित, अनुबंधित नहीं की गई है और न ही उपहार में दी गई संपत्ति के संबंध में कोई पारिवारिक विवाद ही है । इस प्रकार से उक्त संपत्ति पूर्ण रूप से भार रहित अवस्था में उपहार में दी गई है । उक्त उपहार की गई संपत्ति पर उपहारगृहिता अपने नाम से नगर पालिक निगम व अन्य शासकीय कार्यालयों में अपने नाम से नामांतरण कराने के अधिकारी होगें, जिसमें उपहारकर्ता पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें उक्त भूखंड के संबंध में देय कर, आदि उपहारगृहिता ही चुकावेगें ।

6. यह कि, उपहार की गई संपत्ति के संबंध में उपहारकर्ता को आज दिनांक तक जो भी मालिक हक्क, स्वत्व, अधिकार सुखाधिकार आदि प्राप्त थे वे समस्त मालकी हक्क, स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकार आदि इस लेख के जरिये उपहारगृहिता में वैष्ठित हो गये है । अब उपहारगृहिता उपहार में दी गई

Narendra Modi

Nirmala Modi

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

(5)

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 928233

संपत्ति का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार वंश परम्परानुसार लेते जावेगें, इसमें अन्य किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा । फिर भी यदि अन्य किसी ने उपहारगृहिता के हक्क अथवा कब्जे में दखलंदाजी उत्पन्न की तो आपत्तिकर्ता का मन उपहारकर्ता ने अपने खर्च से मनावेंगे तथा इस संबंध में उपहारगृहिता को नुकसानी नहीं लगने देवेगें । भविष्य में भी उपहार दी गई संपत्ति के संबंध में किसी ने किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया तो वह इस उपहार पत्र के आलोक में प्रभावशुन्य माना व समझा जावेगा ।

7. यह कि, उपहार की गई संपत्ति उपहारकर्ता ने उपहारगृहिता के सिवाय अन्य किसी को दान, गिरवी, बक्षिस, बिक्री आदि द्वारा अंतरित नहीं की है तथा न ही इस पर किसी के कर्ज, जमानत, मेन्टेनेंस, अटेचमेंट, डिक्री, वारिसाने आदि का कोई भार है तथा न ही उपहार दी गई संपत्ति के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन है तथा नही उपहार दी गई संपत्ति अन्य किसी को उपयोग हेतु दी है तथ न ही उपहार दी गई संपत्ति पर अन्य किसी का अतिक्रमण है । उपहार की गई संपत्ति सर्वभारमुंक्त अवस्था में उपहार की गयी है ।

Ankit Modi

Nirmala Modi

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 928234

8. यह कि, इस उपहार पत्र से किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होता है ।

9. यह कि, इस विलेख में जहां–जहां भी ''उपहारकर्ता–प्रथमपक्ष'' एवं ''उपहारगृहिता–द्वितीयपक्ष'' के नाम का संबोधन किया गया है, उन शब्दों में उभयपक्षों के वैधानिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, मुखतयार तथा उभयपक्षाों के अंतर्गत हित, अधिकार तथा दावा रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति शामिल है। इस विलेख में जहां भी ''उक्त संपत्ति'' ''उपहार में दी गई संपत्ति'' आदि शब्दों का संबोधन किया गया है, जिसका आशय उपहार में दी गई संपत्ति से है ।

10. यह कि, इस विलेख में पृष्ठ क्रमांक 1 से ..... से काटे एवं जोडे गये अंशों को प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष इस लेख पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित करते है।

11. यह कि, इस उपहार पत्र का समस्त व्यय जैसे स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि खर्च उपहारगृहिता द्वारा वहन किया गया है ।

Nirmala Modi

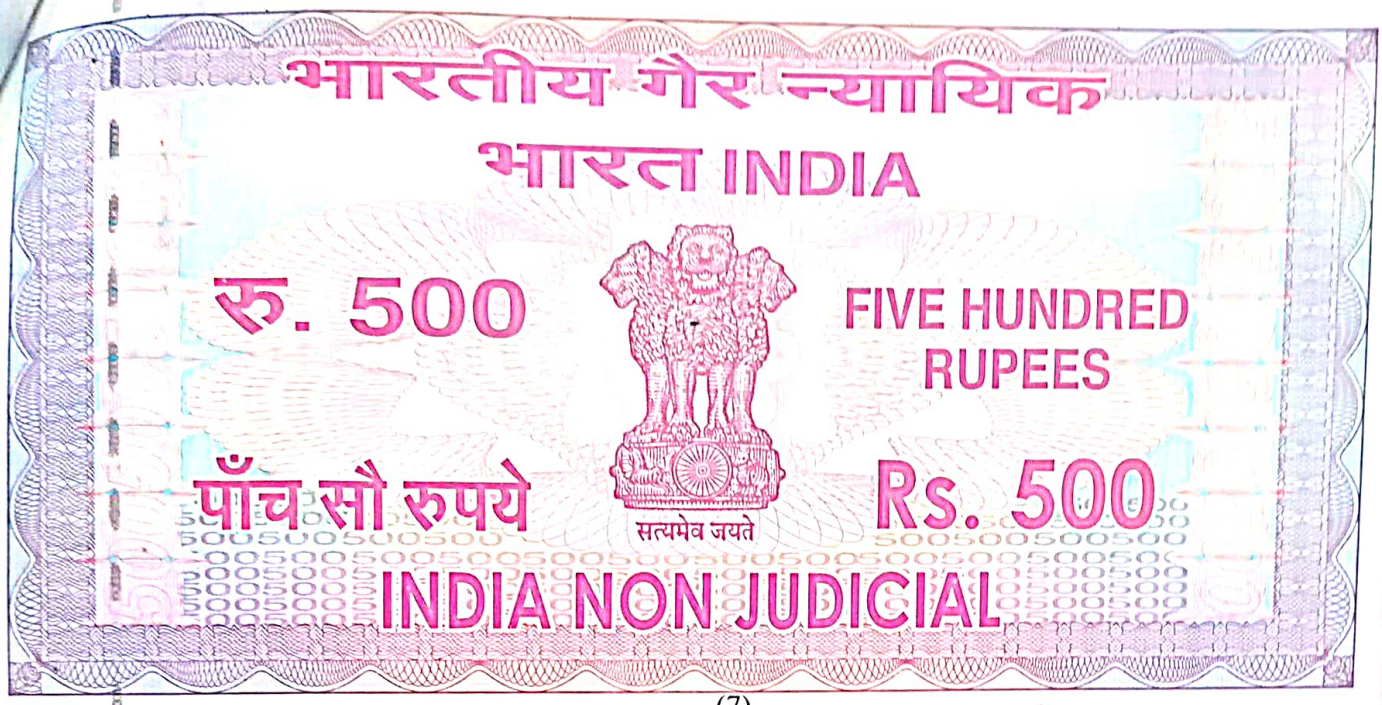

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 928235

अतः यह उपहार पत्र उपहारकर्ता द्वारा उपहारगृहिता के हित में, जिसकी उपहारगृहिता पुष्टि करता है, अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी अनुचित प्रलोभन या दबाव के साक्षीगणों की उपस्थिति में अपने–अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही प्रमाण रहें ।

इति । इन्दौर, दिनांक : 17/6/09

हस्ताक्षर – उपहारकर्ता

[illegible]

गवाह :

1. सही– A. L. Khan
   नाम– [illegible]
   पता– [illegible] इन्दौर

2. सही– [illegible]
   नाम– अशोक पिता [illegible]
   पता– [illegible] इन्दौर

मुझे उक्त उपहार स्वीकार है तथा मैने इस उपहार पत्र में उल्लेखित संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है

Nirmala Mali

हस्ताक्षर – दानगृहिता

उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं उपलब्ध कराये गयें दस्तावेजों के आधार पर इस लेख का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया ।

देवेन्द्रसिंह वर्मा "दरबार", एडवोकेट
27, स्वास्तिक नगर, इंदौर
मो. 98270 – 65240